[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 2/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) मे प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) मे प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण मे महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	**नोटिसियों का नाम एवं पता**	**कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक**	**न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम**	**नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	मै नटराज एक्सपोर्टस, WZ-114B, टोडापुर, इंद्रपुरी के निकट, नई दिल्ली और अन्य.	फ़ा. सं. DRI/DZU/ 23/Enq-81/2017 दिनांक 05.09.2019 (SCN No. 31/2019)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. (तालिका के क्रम सं. 1 और 2 के लिए)
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	
			सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली एवं अन्य आईसीडीस.	
			सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	

			सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	
2.	मै सुमित्रा टेक्सटाइल, निंबरी बापोली रोड, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, विल्लेज-बहरामपुर, तहसील-बापोली, पानीपत और अन्य.	फ़ा. सं. DRI/DZU/23/Int-16/2018 दिनांक 01.05.2019 दिनांक 23.12.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय (SCN No. 13/2019)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	
			सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क-IV, कस्टम हाउस, चेन्नई.	
			सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), ग्रुप III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
			आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क.	
			सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मुँदरा.	
3.	मै शक्ति पम्पस (इंडिया) लि., प्लॉट सं. 401, 402 एवं 413-इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर-3, पीथमपुर, धार (मध्य प्रदेश) और श्री दिनेश पतिदार, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, मै शक्ति पम्पस (इंडिया) लि., प्लॉट सं. 401, 402 एवं 413-इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर-3,	फ़ा. सं. DRI/NRU/CI-26/Int-0/Enq-02/2018 दिनांक 14.10.2019, दिनांक 18.12.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), सहार, अंधेरीपूर्व, मुंबई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), सहार, अंधेरी पूर्व, मुंबई.
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क आयुक्तालय इंदौर, मध्य प्रदेश.	
			सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, दिल्ली एयर कार्गो (आयात), न्यू कस्टम हाउस, दिल्ली.	

	पीथमपुर, धार (मध्य प्रदेश)			

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-48/2019-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्द्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतू।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली और लखनऊ को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसो के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयनन अधिकारी की नियुक्ति के बारे मे सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ो (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दे